

पूर्वोत्तर रेलवे
North Eastern Railway

Office of
GM/Vigilance
Gorakhpur



कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर

Z/13/V4/2023/05/01100/pc/156

दिनांक 18.09.2023

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय:- छात्रावास अनुदान भुगतान में पद्धति सुधार के संबंध में।

सन्दर्भ:- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2019/ED-2/1 दिनांक 22.08.2019

कृपया रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहे जिसके अनुसार- "किसी शैक्षिक वर्ष में छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए संस्था के प्रधान से इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करना पर्याप्त होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उस बच्चे ने उस स्कूल में संबंधित शिक्षण सत्र के दौरान अध्ययन किया है, इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षा होगी कि उस प्रमाणपत्र में सरकारी सेवक द्वारा आवासीय परिसर में ठहरने और खाने पीने पर व्यय की गई राशि का उल्लेख किया जाए। यदि ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सके तो रिपोर्ट कार्ड और मूल शुल्क रसीद/ई-रसीद की स्वप्रमाणित प्रति छात्रावास अनुदान का दावा करने के लिए प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा आवासीय परिसर में ठहरने और खाने-पीने पर हुए व्यय की गई राशि इंगित होनी चाहिए। खाने पीने और ठहरने पर हुआ व्यय या रु 6750/- की अधिकतम सीमा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जो भी कम हो, उस कर्मचारी को छात्रावास अनुदान के रूप में भुगतान की जाएगी।"

परम्परागत रूप से निर्धारित बोनाफाइड प्रमाणपत्र पर संस्था के प्रधान के हस्ताक्षर द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाणपत्र के आधार पर छात्रावास अनुदान प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है। उक्त प्रारूप में आवासीय परिसर में ठहरने और खाने-पीने पर हुए व्यय का उल्लेख नहीं होने से, कर्मचारियों द्वारा विद्यालय के सभी मदों पर हुए व्यय के अनुसार भुगतान रेल प्रशासन द्वारा या अधिकतम रु 81,000/- हो रहा है एवं विद्यालय का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा बोर्डिंग स्कूल लाइसेंस न होने से अनियमित तरीके से बोनाफाइड प्रमाणपत्र संलग्न करके कर्मचारियों द्वारा छात्रावास अनुदान प्रतिपूर्ति का दावा करके भुगतान प्राप्त किया जा रहा है।

अतः छात्रावास अनुदान प्रतिपूर्ति का दावा हेतु कर्मचारियों द्वारा संस्था के प्रधान से (संलग्न प्रारूप के अनुसार) बोनाफाइड प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए उसके उपरान्त छात्रावास अनुदान प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए, बोनाफाइड प्रमाणपत्र न होने के दशा में रिपोर्ट कार्ड और मूल शुल्क रसीद/ ई-रसीद की स्वप्रमाणित प्रति, जिसमें आवासीय परिसर में ठहरने और खाने-पीने पर हुए व्यय हुए राशि का उल्लेख हो, प्रपत्र संलग्न किये जाने चाहिए।

उपरोक्त पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक- यथोपरि।

(जय प्रकाश)
वसताधि/लेखा

रूने महाप्रबंधक/सतर्कता

01/09/23

21.9.23

**Specimen of Bonafide Certificate from the head of
institution/school for Hostel subsidy**

- (1) This is to certify that Master/baby/Mr/Mrs.....
Roll number..... Admission No.....Son/Daughter of Shri/
Smt..... is a Bonafide student of this school and
studies in class..... during the financial year and
as per school records his/her date of birth is in words.....
- (2) During the year.....Master/baby/Mr/Mrs.....has
resided in residential complex (Hostel) of the school and paid amount of
- (3) Admission fee-
- (4) Monthly fee-
- (5) Lodging -
- (6) Boarding -
- (7) Other fee -
- (8) This institution/School is affiliated/recognised by and the Affiliation/Recognition
Number is..... and **licensed for boarding School/Running
Hostel facility by recognizing institute vide No.....**
Dated.....
- (9) Name of address of hostel -.....
- (10) Name of Head of the institution school-.....
- (11) Contact number of the school office-.....
- (12) Email of the school office-.....
- (13) Correspondence address of institution school-.....
- (14) Distance of hostel from school institutions-.....

Date:

Place:

Seal of Institution/School

Signature Head of institution/School
(With Stamp)

Signature of Applicant :

Name :

Designation & Place of Posting: